संचालक, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियरम.प्र.

Email- gma_gwalior@rediffmail.com Phone No.- 0751 2480263,2481841

क्रमांक 2494-97/स्था./2026 ग्वालियर दिनांक: 29/04/2026

//विज्ञापन सूचना//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–2–15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 03.08.2022 द्वारा सृजित/स्थानांतरित,जूनियर रेसीडेन्ट पद, संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश कमांक 1200–02/स्था./राज/2021 दिनांक 24.12.2021 एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला म.प्र., प्रबंध समिति की 58वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिए गये निर्णय के परिपालन में जूनियर रेसीडेन्ट के रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 1 वर्ष के लिये भरे जाने हेतु, विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन कार्यालयीन समय 10:00 AM से 06.00 PM तक संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के कार्यालय में प्राप्त किये जावेगें। तथा साथ ही विभागीय वैबसाईट https://gwaliormentalhospital.org पर विस्तृत नियम निर्देश पढ़ सकते है।

आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक– 06.05.2026
आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक– 20.05.2026

संचालक
ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला
ग्वालियर म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था./2026/2494-97 ग्वालियर/दिनांक/29/04/2026

//विज्ञापन//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 03.08.2022 द्वारा सृजित/स्थानांतरित, जूनियर रेसीडेन्ट पद, संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश कमांक 1200-02/स्था./राज/2021 दिनांक 24.12.2021 एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला म.प्र., प्रबंध समिति की 58वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिए गये निर्णय के परिपालन में जूनियर रेसीडेन्ट रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 1 वर्ष हेतु भरे जाने हेतु, विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

जूनियर रेसीडेन्ट(निश्चित वेतन रू. 63,324/- प्रतिमाह)

विभाग	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव
मनोरोग	01	-	01	-	-

टीपः- आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबध में दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

जूनियर रेसीडेन्ट पद हेतु विज्ञापन जारी दिनांक से 15 दिवस में कार्यालयीन समय 10:00 ए.एम. से 06:00 पी.एम. तक संचालक, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगें। 06:00 पी.एम. के बाद आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें। साक्षात्कार की तारीख आरोग्यशाला की बेवसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी, साक्षात्कार दिवस को प्रमाण-पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य 10:30 बजे से प्रारम्भ होगा तत्पश्चात् दोपहर 02:00 से साक्षात्कर आयोजित किये जायेगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूलप्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दि. 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय/आरोग्यशाला में इस पद पर सेवाऐं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से **ग्रामीण/अधिसूचित** क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोटः-

1. आरक्षण शासन नियमानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगीः-

जूनियर रेसीडेन्टस

पात्रताः- 1. जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व, एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।

Scanned with OKEN Scanner

अपात्रताः–

1. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य,चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
2. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
3. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
4. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
5. बिन्दु 1 से 4 में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेगें।
6. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा इंटर्नशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण–पत्र (Internship Completion Certificate) में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

चयनविधिः–

1. संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला द्वारा नोटिस बार्ड, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला की वेबसाईट https://gwaliormentalhospital.org एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदो के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा संचालक की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षत्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
2. योग्य अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में लगे Attempts सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सकल प्रतिशत एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत होगा।
3. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात् मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदो के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। चयनित चिकित्सक द्वारा मध्य में सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिये प्रतीक्षारत चिकित्सक का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक के लिये वैध होगी।
5. चयनित जूनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure):–

1. टेन्युअर की अवधि 01 वर्ष होगी।
2. जूनियर रेसीडेंट की नियुक्ति 01 वर्ष के लिये की जावेगी। अन्य चिकित्सा महाविधालयो की भांति जूनियर रेसीडेंट का कार्यकाल 01 वर्ष के उपरांत स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

. विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने पर अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवाऐं तत्काल समाप्त करने का अधिकार संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला को होगा।

आरक्षणः–

1. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
2. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाशः– जूनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृतिः– मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

आवेदन शुल्क :

1. जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रू. 750/– (सात सौ पचास) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को रू. 500/– (पॉच सौ) राशि का बैंक ड्राफ्ट संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर के नाम देय होना चाहिये।
2. बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को पूरा नाम, पता एवं फोन नम्बर लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जायेगी।
3. कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें :

1. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
3. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
4. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अन्य राज्य की मेडिकल कौंसिल का पंजीयन होने की स्थिति में उम्मीदवार को चयन होने के पश्चात् 1 माह के अंदर म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल का पंजीयन कराना आवश्यक होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
7. साक्षात्कार में सम्मलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाडे की सूची में नहीं हैं एवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज है, तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/किन्तु मैंने अपनी ज्योनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बॉण्ड के बदले जूनियर रेसीडेन्ट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

संचालक
ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला
स्वशासी संस्था, ग्वालियर म.प्र.

क्रमांक/स्था./2026/ 2494-97
ग्वालियर/दिनांक/ 29/04/2026

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. नोटिस बोर्ड ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला पर चस्पा हेतु।
3. ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला
स्वशासी संस्था, ग्वालियर म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

जूनियर रेसीडेन्ट के अस्थाई पद हेतु आवेदन–पत्र

स्वप्रमाणित फोटो

ति,

संचालक
ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला
ग्वालियर मध्यप्रदेश

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरी जावेगी।

1. आवेदित पद एवं विभाग का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम ....
3. पिता / पालक / अभिभावक का नाम ....
4. माता का नाम ....
5. जन्मतिथि .... (कक्षा दस की अंकसूची संलग्न करें।)
6. पुरूष / महिला ....
7. वर्तमान निवास पता..
....
8. स्थाई निवास पता ....
....
9. दिनांक 01/01/2025 को आवेदक की आयु दिन .... माह .... वर्ष............
10. जाति :– एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / पी.एच. / ई.डब्ल्यू.एस. ....(जाति प्रमाण पत्र जावक नं. एवं सक्षम अधिकारी की सील सहित संलग्न करें)
11. मूल निवासी प्रमाण पत्र जावक नम्बर एवं सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न करें............
12. एम.बी.बी.एस पूर्ण करने की दिनांक / वर्ष एवं महाविद्यालय का नाम :– ....
13. इन्र्टशिप पूर्ण करने की दिनांक / वर्ष एवं महाविद्यालय का नाम :– ....
14. एम.बी.बी.एस संबंधी मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर :– .... (प्रति संलग्न)
15. एम.बी.बी.एस कितने प्रयास में उर्त्तीण किया .... प्रयास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
16. आवेदक का मोबाईल नंबर .... ईमेल पता ....

नोट – आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र लिखे गये कम अनुसार संलग्न करें :– 1. कक्षा दस अंकसूची 2. एम.बी.बी.एस. प्रथम अंकसूची 3. एम.बी.बी.एस. द्वितीय अंकसूची 4. एम.बी.बी.एस. फाइनल भाग एक अंकसूची 5. एम.बी.बी.एस. फाइनल अंकसूची 6. एम.बी.बी.एस. प्रयास प्रमाण पत्र 7. जाति प्रमाण पत्र 8. मूल निवासी प्रमाण पत्र 9. मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एम.बी.बी.एस. 10. एम.बी.बी.एस. विश्वविद्यालयीन डिग्री 11. इन्टर्नशीप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

यह कि मैं, डॉ.. पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक कथन करती हूं / करता हूं की मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य एवं वैधानिक है। यह मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य अथवा अवैधानिक पाई जाती है। तो श्रीमान संचालक मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं जिसका समस्त दायित्व मेरा होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

Scanned with OKEN Scanner